(वाद संख्या–1408/18)

29.01.2020

प्रसंगाधीन परिवाद, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ में संसीमित आजीवन कारावस की सजा प्राप्त बंदी, सुरंगलाल यादव द्वारा बारह वर्ष से अधिक सजा काट लेने एवं परिहार सहित कुल चौदह वर्ष छः महीना से अधिक अवधि तक कारावास की सजा काट लेने, अपनी 87 वर्ष आयु होने तथा अस्वस्थ्य होने के अधार पर, कारा मुक्ति हेतु परिवाद दाखिल किया गया है।

उपरोक्त प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र पर कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। प्रतिवेदनानुसार, बंदी, सुरंगलाल यादव, को चिकित्सकों की अनुशंसा पर कारा अस्पताल, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ एवं पी0एम0सी0एच0, पटना में भर्त्ती करा कर कारा प्रवेश के समय से ही बेहत्तर चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है। प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि बंदी, सुरंगलाल यादव, द्वारा लगाये गये आरोप तथ्यहीन तथा कारा प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने की गलत मंशा से दिया गया है। कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना के साथ संलग्न अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के प्रतिवेदनानुसार उक्त बंदी की वास्तविक सजावधि चौदह वर्ष, दिनांक–01.01.2021 को एवं परिहार सहित बीस वर्ष की सजावधि, दिनांक–19.03.2023 को पूर्ण होगी। प्रतिवेदन के साथ संलग्न विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–550, दिनांक–21.01.1984 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आजीवन कारावास की सजा प्राप्त किसी भी बंदी की असमय कारामुक्ति हेतु प्रस्ताव राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद के समक्ष **वास्तविक सजावधि चौदह वर्ष एवं परिहार सहित बीस वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही प्रस्तुत किये जाने का दिशानिर्देश है।**

अब, जबकि कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत राज्य सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार बंदी की असमय कारामुक्ति हेतु नियमानुसार सजावधि पूर्ण होने पर ही राज्य दण्डादेश परिहार पर्षद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई कार्रवाई करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

कारा महानिरीक्षक, के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन परिवाद को आयोग के स्तर पर बंद किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश व कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–95–14/प0) की प्रति संलग्न कर अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के माध्यम से परिवादी को सूचित कर दिया जाय। ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>